>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे - श्री अर्जुन मुंडा ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री अर्जुन मुंडा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई ज्ञापन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 777/17/19]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री धर्मेन्द्र प्रधान की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) **(एक)** इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 778/17/19]

(ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 779/17/19]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 780/17/19]

(दो) ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 781/17/19]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 782/17/19]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): माननीय सभापति जी, मैं निम्नखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सलार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सलार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 783/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial)(No. 13 of 2019)-Compliance Audit Observations for the year ended March, 2018 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 784/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 785/17/19]

(3) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(4) Two statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 786/17/19]

(5) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Malaviya National Institute of Technology Jaipur, Jaipur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Malaviya National Institute of Technology Jaipur, Jaipur, for the year 2017-2018.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 787/17/19]

(7) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, for the year 2017-2018.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 788/17/19]

(9) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Karnataka, Surathkal, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Karnataka, Surathkal, for the year 2017-2018.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 789/17/19]

(11) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Durgapur, Durgapur, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Durgapur, Durgapur, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Durgapur, Durgapur, for the year 2017-2018.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 790/17/19]

(13) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Maharashtra, Mumbai, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Maharashtra, Mumbai, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(14) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 791/17/19]

(15) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Telangana, Hyderabad, for the years 2014-2015 to 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Telangana, Hyderabad, for the years 2014-2015 to 2016-2017.

(16) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 792/17/19]

(17) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2017-2018.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

[Placed in Library, See No. LT 793/17/19]

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Puducherry, Karaikal, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Puducherry, Karaikal, for the year 2017-2018.

(20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

[Placed in Library, See No. LT 794/17/19]

(21) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garhwal, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garhwal, for the year 2017-2018.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

[Placed in Library, See No. LT 795/17/19]

(23) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Delhi, Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Delhi, Delhi, for the year 2016-2017.

(24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

[Placed in Library, See No. LT 796/17/19]

(25) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, Prayagraj, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Motilal Nehru Institute of Technology, Allahabad, Prayagraj, for the year 2017-2018.

(26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

[Placed in Library, See No. LT 797/17/19]

(27) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Mizoram, Aizawl, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Mizoram, Aizawl, for the year 2017-2018.

(28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

[Placed in Library, See No. LT 798/17/19]

(29) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Agartala, Agartala, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Agartala, Agartala, for the year 2017-2018.

(30) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

[Placed in Library, See No. LT 799/17/19]

(31) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2016-2017.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2016-2017.

(32) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (31) above.

[Placed in Library, See No. LT 800/17/19]

(33) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Paschim Banga Sarva Siksha Mission, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paschim Banga Sarva Siksha Mission, Kolkata, for the year 2017-2018.

(34) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

[Placed in Library, See No. LT 801/17/19]

(35) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Odisha Madhyamik Shiksha Mission, Bhubaneswar, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Odisha Madhyamik Shiksha Mission, Bhubaneswar, for the year 2017-2018.

(36) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (35) above.

[Placed in Library, See No. LT 802/17/19]

(37) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Bhopal, for the years 2014-2015 and 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Bhopal, for the years 2014-2015 and 2015-2016.

(38) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (37) above.

[Placed in Library, See No. LT 803/17/19]

(39) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Warangal, Warangal, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Warangal, Warangal, for the year 2017-2018.

(40) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (39) above.

[Placed in Library, See No. LT 804/17/19]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 534 (अ), जो 29 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल-जून 2019 की तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 को प्रस्तुत करने की तिथि को 31.08.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 583 (अ), जो 20 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138ङ के उपबंध के अनुसार ई-वे बिल सुविधा की ब्लाकिंग तथा अनब्लाकिंग की सुविधा को लागू करने की तिथि का विस्तार करके इसे 21.11.2019 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 589 (अ), जो 21 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2019 माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी को प्रस्तुत करने की तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 615 (अ), जो 31 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2017-2018 और 2018-19 के लिए फॉर्म आईटीसी-04 को दायर करने में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 616 (अ), जो 31 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 की धारा 103 को प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 617 (अ), जो 31 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2019 माह के लिए जीएसटीआर-7 प्रस्तुत करने के लिए कुछ मामलों में अंतिम तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 618 (अ), जो 31 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फॉर्म जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-6 के लिए जुलाई, 2019 माह हेतु कुछ मामलों में विलंब शुल्क में छूट देना है बशर्ते उक्त रिटर्न 20.09.2019 तक प्रस्तुत किए जाएं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 683 (अ), जो 24 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी (चौथा संशोधन) नियम, 2019 के नियम 10, 11, 12 तथा 26 को प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 767 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक के माह हेतु फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 768 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक की तिमाही हेतु 1.5 करोड़ रूपए तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों हेतु फॉर्म जीएसटीआर-1 को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा.का.नि. 769 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक के माह हेतु 1.5 करोड़ रूपए से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों हेतु फॉर्म जीएसटीआर-1 मे रिटर्न को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि. 770 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 करोड़ रूपए से कम के कुल कारोबार वाले छोटे करदाताओं तथा जिन्होंने निर्धारित तिथि से पूर्व उक्त रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 और 2018-19 हेतु सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44(1) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न दाखिल किए

जाने को वैकल्पिक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा.का.नि. 771 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 31 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं.41/2019 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र सा.का.नि. 772 (अ) में प्रकाशित केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (छठां संशोधन) नियम, 2019 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 809(अ), जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 18.10.2019 से 22.10.2019 तक चार दिवसों के लिए जुलाई-सितम्बर, 2019 की तिमाही हेतु फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 को दाखिल करने की अंतिम तिथि का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा.का.नि. 820(अ), जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र पर जम्मू कमीश्नरी के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना सं. 2/2017-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा.का.नि. 539(अ), जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी को कम करके (क) ई-साइकिल सहित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत (ख) इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जर तथा चार्जिंग स्टेशनों पर 9 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत करने के लिए दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सा.का.नि. 540(अ), जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने के लिए शून्य सीजीएसटी का उपबंध करने हेतु दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा.का.नि. 709(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.09.2019 को हुई जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों को प्रभावी रूप देने के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं हेतु प्रभावी जीएसटी दरों को निर्दिष्ट करने के लिए दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 1/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा.का.नि. 712(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सूखी इमली तथा पत्तों से बने हुए कप, प्लेटों, पौधों की छाल तथा फूलों को छूट प्रदान करने के लिए दिनाकं 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 2/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 715(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एचईएलपी/ओएएलपी के अंतर्गत निर्दिष्ट परियोजनाओं पर रियायती जीएसटी दरों का विस्तार करने तथा अन्य परिवर्तनों के लिए दिनाकं 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 3/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 718(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को नामित एजेंसियों द्वारा चांदी और प्लैटीनम की आपूर्ति पर सीजीएसटी छूट देने के लिए दिनाकं 31.12.2018 की अधिसूचना सं. 26/2018 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 721(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय समेकन योजना के क्षेत्राधिकार से ऐरेटिड वॉटर के विनिर्माताओं को अलग रखने के लिए दिनाकं 7.3.2019 की अधिसूचना सं. 2/2019 - केन्द्रीय कर

(दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा.का.नि. 724(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एफएओ के अंतर्गत निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए वस्तुओं की आपूर्ति को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) सा.का.नि. 729(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय समेकन योजना के क्षेत्राधिकार से ऐरेटिड वॉटर के विनिर्माताओं को अलग रखने के लिए दिनाकं 7.3.2019 की अधिसूचना सं. 14/2019 - केन्द्रीय कर को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा.का.नि. 731(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.09.2019 को हुई जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार विभिन्न सेवाओं की सीजीएसटी दरों को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना सं. 11/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 734(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.09.2019 को हुई जीएसटी परिषद की

37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार सेवाओं को छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना सं. 12/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 737(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.09.2019 को हुई जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार विपरीत प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अंतर्गत सेवाओं को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना सं. 13/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस) सा.का.नि. 740(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकारों की आपूर्ति से संबंधित उपबंधों की प्रयोजनीयता पर एक स्पष्टीकरण को शामिल करके दिनांक 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 4/2018 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) सा.का.नि. 743(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमेंट से संबंधित प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए दिनांक 29 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 7/2019 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतीस) सा.का.नि. 746(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के अनुसार मदिरा लाइसेंस प्रदान किए जाने को न तो वस्तु की आपूर्ति तथा न ही सेवा की आपूर्ति मानने को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No.LT 805/17/19]

(2) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 707(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 708(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू प्रतिस्थापकों के लिए इन्वर्टिड शुल्क ढांचे के मामले में प्रतिकर उपकर की वापसी को अनुमति न देना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No.LT 806/17/19]

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) सा.का.नि. 786(अ) जो 15 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय महानिदेशक व्यापार उपचार की दिनांक 15 जुलाई, 2019 की प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं. 6/4/2019-

डीजीटीआर के अधार पर चीन जनवादी गणराज्य, वियतनाम और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, एल्यूमीनियम और जिंक की मिश्र धातु के साथ प्लेटेड अथवा कोटेड' पर अधिरोपड़ की तारीख से छह माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 812(अ) जो 25 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स पीटी. एनर्जी सेजाह्टेरा मास (उत्पादक, इण्डोनेशिया) और सिनारमस केप्सा पीटीई. लि. (निर्यातक, सिंगापुर), से निर्यात होने वाले और भारत में आयात होने वाले 'सेचूरेटेड फेट्टी एल्कॉहल्स' पर न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में अधिसूचना सं. 28/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25 जून, 2018 को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 813(अ) जो 25 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स पीटी. एनर्जी सेजाह्टेरा मास (उत्पादक, इण्डोनेशिया) और सिनारमस केप्सा पीटीई. लि. (निर्यातक, सिंगापुर), से निर्यात होने वाले और भारत में आयात होने वाले 'सेचूरेटेड फेट्टी एल्कॉहल्स' पर न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में अधिसूचना सं. 13/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 14 मार्च, 2019 को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 495(अ) जो 12 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष नागरिक आवेदन सं. 5278/2019 के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात दिनांक 03.07.2019 के आदेश के अनुसरण में, चायना पीआर में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पैरासिटामोल' के आयातों पर अधिसूचना सं. 26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28.10.2013 के तहत लगाए गए और अधिसूचना सं. 26/2019 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 जून, 2019 के तहत अंतिम बार विस्तारित प्रतिपाटन शुल्क के उग्रहण को 27.10.2019 तक और आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 524(अ) जो 24 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में कोरिया जनवादी गणराज्य और थाइलैण्ड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'प्यूरिफाइड टेरिफ्थैलिक एसिड' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 549(अ) जो 1 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 16/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 23 मार्च, 2018, को निरसित करना है जिससे कि बांग्लादेश में मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादक/निर्यातक) (बांग्लादेश) और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर) (बांग्लादेश) के द्वारा मूलतः उत्पादित और वहां से भारत को निर्यातित "यार्न/ट्विन

(मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एन्ड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग्स" के सभी आयातों का अनंतिम आंकलन बंद किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 550(अ) जो 1 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 1/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 में और आगे भी संशोधन करना है जिससे कि बांग्लादेश में मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादक/ निर्यातक) (बांग्लादेश) और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर) (बांग्लादेश) के द्वारा मूलतः उत्पादित और वहां से भारत को निर्यातित "यार्न/ ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एन्ड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग्स" के निर्यातों पर शुल्क तालिका के निर्यातकों की अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत अंतिम आंकलन निर्धारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि.561(अ) जो 6 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26.02.2019 की अधिसूचना संख्या 12/2019-सी.शु. (एडीडी) में संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट उत्पादक के नाम में शुद्धि की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 568(अ) जो 10 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के सन्सेट रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित

"विनाइल क्लोराइड मोनोमर के होमोपॉलीमर (सस्पेंशन ग्रेड)" के आयात पर 30 महीने की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 600(अ) जो 29 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रतिपाटन जांच के अनुसरण में, छह माह की अवधि के लिए, चायना पीआर और कोरिया आरपी में उद्भूत एवं वहां से निर्यातित 'क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड रेसिन-चाहे यौगिक में आगे संसाधित किया गया है या नहीं' के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा.का.नि. 640(अ) जो 6 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत और वहां से निर्यातित, मैसर्स कुईतुन जिंजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लि. (उत्पादक) और मैसर्स फोशन कैसीनो बिल्डिंग मेटेरियल कंपनी लि. (निर्यातक) के द्वारा निर्यातित, और भारत में आयातित "मेलामाइन" के आयात से संबंधित न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में अधिसूचना सं. 2/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह)

सा.का.नि. 641(अ) जो 6 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत और वहां से निर्यातित, मैसर्स कुईतुन जिंजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लि. (उत्पादक) और मैसर्स फोशन कैसीनो बिल्डिंग मेटेरियल कंपनी लि. (निर्यातक) के द्वारा निर्यातित, और भारत में आयातित ''मेलामाइन'' के आयात से संबंधित न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 20 मार्च, 2018 का निरसन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा.का.नि.656(अ) जो 14 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 11 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 11/2015-सी.शु. (एडीडी) को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा.का.नि. 657(अ) जो 14 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या निर्यातित होने वाले 'कांच या पोरसेलेन/सेरमिक के विद्युत इन्सुलेटर, संकलित अथवा नहीं', के आयात पर संबंधित सनसेट रिव्यू जांच की अधिसूचना सं. 7/44/2018-डीजीएडी, दिनांक 17 जुलाई, 2019 के अंतिम परिणामों के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 691(अ) जो 25 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ब्राजील, चीन और जर्मनी देशों में उद्भूत या निर्यातित होने वाले "नॉन-कोबाल्ट ग्रेड हाई स्पीड स्टील के बार और छड़, जिनका आयतन 4 एमएम से 163 एमएम तक हो और इसमें मोलिबडेनम, टंगस्टन और वनाडियम जैसे तीन तत्व हो जिसमें टंगस्टन और मोलिबेडीनेयम का संयोजन 4 प्रतिशत-11.5 प्रतिशत और वनाडियम का अधिकतम 3.5 प्रतिशत हो, इसमें कार्बन की मात्रा 0.7 प्रतिशत-1.3 प्रतिशत तक हो और क्रोमियम की मात्रा 3.5 प्रतिशत से 4.6 प्रतिशत तक हो", इस पर व्यापार उपचारों के महानिदेशक के दिनांक 01.08.2019 के अंतिम परिणामों के आधार पर पांच वर्षों के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा.का.नि. 696(अ) जो 28 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चायना पीआर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'डक्टाइल आयरन पाइप्स' के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क उग्रहीत करना है और इसे माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर, 9 अक्तूबर, 2019 तक बढ़ाया गया था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को अपास्त कर दिया है तथा परिणामस्वरूप अधिसूचना सं. 23/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 को अधिसूचना स. 39/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 28.09.2019 के द्वारा निरसित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा.का.नि. 610(अ) जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा आयोजित जांच की सिफारिशों के आधार पर, पांच वर्ष की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सैकरीन के सभी रूपों में इसके आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अंतर्गत निश्चित प्रतिकारी शुल्क का उदग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.नि. 664(अ) जो 17 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या निर्यातित होने वाले 'एटराजिन टेक्नीकल' के आयात पर व्यापार उपचारों के महानिदेशक द्वरा करवाई गई जांच की सिफारिशों के आधार पर पांच वर्षों (17.09.2019 से लागू) के लिए कस्टम टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के तहत निश्चित प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 665(अ) जो 17 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम में उद्भूत या निर्यातित होने वाले 'वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड टयूब्स' पर व्यापार उपचारों के महानिदेशक के दिनांक 31.07.2019 के अंतिम परिणामों के आधार पर पांच वर्षों के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 632(अ) जो 4 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर अधिसूचना सं. 53/2011, दिनांक 01.07.2011 में संशोधन करना है जिससे कि मलेशिया में उद्भूत और भारत-मलेशिया बृहत आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत आयातित आरबीडी पामोलिन/पाम ऑयल पर 180 दिनों की अवधि के लिए सीमाशुल्क की दर में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा.का.नि.833(अ) जो 11 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 07 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 24/2018-सी.शु. (एडीडी) को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा.का.नि. 834(अ) जो 11 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) और मैसर्स एसएमपी इंटरनेशनल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर), मैसर्स अजीज फाइबर्स लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक), बांग्लादेश मैसर्स नातोर जूट मिल्स (उत्पादक) बांग्लादेश और मैसर्स पीएनपी जूट ट्रेडिंग एलएलसी (निर्यातक/ट्रेडर), यूएसए द्वारा बांग्लादेश से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'जूट सैकिंग बैग्स और यार्न' के भारत में आयात पर प्रतिपाटन शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिसूचना सं.

1/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 को निरस्त करके आगे संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No.LT 807/17/19]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 666(अ) जो 17 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017 में संशोधन करके ओपन सेल (15.6" से और इससे अधिक) जिनका उपयोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले (एलसीडी) और लाईट एमीटिंग डीओएड (एलईडी) टीवी पैनलों को बनाने के लिए किया जाता है, इस पर आधार सीमाशुल्क को कम करे जो कि मौजूदा समय में 5 प्रतिशत है, को शून्य किया जाना है और कतिपय विशिष्ट माल जिनका उपयोग लिक्विड क्रिस्टल डिसप्ले (एलसीडी) और लाईट एमीटिंग डीओएड (एलईडी) टीवी पैनलों के ओपन सेल को बनाने के लिए किया जाता है जिस पर मौजूदा आधार सीमा शुल्क जो कि 15 प्रतिशत है, जिसे घटाकर 30 सितम्बर, 2020 तक शून्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 684(अ) जो 24 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017 में संशोधन करके हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग

पॉलिसी (एचईएलपी) तथा ओपन एक्रेज एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएलपी) के विशेष अनुबंधों के तहत पेट्रोलियम ऑपरेशन या कोल बेड मीथेन आपरेशन पर छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.726(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए एफएओ द्वारा आयातों में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 706(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 39/96-सीमाशुल्क दिनांक 23.07.1996 में संशोधन करना है जिससे 03.12.2021 तक मूल सीमा शुल्क डयूटी (बीसीडी) से लेकर मशीनरी तक उपकरण, साधन, घटक, पुर्जे, औजार, सहायक उपकरण, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, माक अप और माडल, रक्षा मंत्रालय के लाईट काम्बेट एयर क्राफ्ट प्रोग्राम (एलसीएपी) के लिए अपेक्षित कच्चा माल और उपभोग्य सामग्री पर छूट उपलब्ध कराई जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.727(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. में और संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक की सिफारिशों को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.728(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. 19/2019-सी.शु. में और संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019

को हुई 37वीं बैठक की सिफारिशों को लागू करने के लिए आईजीएसटी विनिर्दिष्ट रक्षा वस्तुओं को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 808/17/19]

(5) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 543 (अ), जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) का संशोधन करना है ताकि यूटीजीएसटी को (क) ई-बाइसिकिल सहित विद्युत वाहनों पर 6 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत (ख) विद्युत वाहनों के लिए चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर 9 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.544(अ) जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) का संशोधन करना है ताकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विद्युत बसों को किराए पर लेने पर शून्य यूटीजीएसटी प्रदान किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.711(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 1/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक की सिफारिशों को लागू करने के लिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी यूटीजीएसटी दर निर्दिष्ट की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि.714(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 2/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि शुष्क इमली तथा पत्तों से बने कपों, प्लेटों, पौधों की छाल और फूलों को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि.717(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 3/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि एचईएलपी/ ओएएलओ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और अन्य परिवर्तनों के लिए रियायती यूटीजीएसटी दरें प्रदान की जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि.720(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31.12.2018 की अधिसूचना सं. 26/2018- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को चांदी और प्लेटिनम की आपूर्तियों पर यूटीजीएसटी में छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि.722(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 07.03.2019 की अधिसूचना सं. 2/2019- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि वातित जलों के विनिर्माताओं को संरचना स्कीम के क्षेत्राधिकार से हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि.725(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एफएओ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि.732(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कतिपय सेवाओं की जीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि.735(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कतिपय सेवाओं को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा.का.नि.738(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 13/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कतिपय सेवाओं को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि.741(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकारों के प्रदाय से संबंधित उपबंधों की प्रयोजनियता पर स्पष्टीकरण शामिल करते हुए 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 04/2018- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा.का.नि.744(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमेंट से संबंधित प्रविष्टि का संशोधन करने के लिए 29 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 07/2019- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा.का.नि.747(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के साथ पठित यूटीजीएसटी अधिनियम की धारा 21 (झ) के अनुसार एल्कॉहलिक लिकर लाइसेंस प्रदान किए जाने को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति

के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No.LT 809/17/19]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 591(अ) जो 22 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित या योजना अवधि के अंत तक जो भी पहले हो क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) हवाई अड्डा या हेलिपोर्ट या वॉटरड्रोम के परिचालन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक आरसीएस-उड़ान हवाई अड्डे या हेलिपोर्ट या वॉटरड्रोम से आहरित एटीएफ पर 2 प्रतिशत मूल उत्पाद शुल्क की वैधता को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No.LT 810/17/19]

(7) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा पुरस्कार का संदाय)(पहला संशोधन) विनियम, 2017 जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/रेग/.3/140/2017 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/रेग/.6/143/2017 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती)(संशोधन) विनियम, 2019 जो 1 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/रेग/.13/164/2019 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य लोक सेवक केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएं) विनियम, 2019 जो 2 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई / रेग/.12/163/2019 में प्रकाशित हुए थे ।

(8) उपर्युक्त (7) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No.LT 811/17/19]

(9) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2019 जो 2 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 619(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No.LT 812/17/19]

(10) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3743(अ) जो 18 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा

2(कग)(घ) के अंतर्गत 'माल में विकल्प' को 'व्युत्पन्न' के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 813/17/19]

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो 14 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2019 जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 702(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (उप महाप्रबंधक, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, वरिष्ठ सचिवालयी सहायक (एसएसए) तथा कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2019 जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 703(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No.LT 814/17/19]

(12) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 541 (अ), जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) का संशोधन करना है ताकि आईजीएसटी को (क) ई-बाइसिकिल सहित विद्युत वाहनों पर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत (ख) विद्युत वाहनों के लिए चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि.542(अ) जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 9/2017- एकीकृत कर (दर) का संशोधन करना है ताकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विद्युत बसों को किराए पर लेने पर शून्य आईजीएसटी प्रदान किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि.710(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय

28.06.2017 की अधिसूचना सं. 1/2017- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक की सिफारिशों को लागू करने के लिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी आईजीएसटी दर निर्दिष्ट की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि.713(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 2/2017- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि शुष्क इमली तथा पत्तों से बने कपों, प्लेटों, पौधों की छाल और फूलों को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि.716(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 3/2017- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि एचईएलपी/ओएएलपी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और अन्य परिवर्तनों के लिए रियायती आईजीएसटी दरें प्रदान की जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि.719(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31.12.2018 की अधिसूचना सं. 27/2018- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को चांदी और प्लेटिनम की आपूर्तियों पर आईजीएसटी में छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि.723(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एफएओ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.730(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 8/2017- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार विभिन्न सेवाओं की जीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.733(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 9/2017- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कतिपय सेवाओं को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.736(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 10/2017- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कतिपय सेवाओं को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.739(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकारों के प्रदाय से संबंधित उपबंधों की प्रयोजनियता पर स्पष्टीकरण शामिल करते हुए 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 04/2018-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि.742(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमेंट से संबंधित प्रविष्टि का संशोधन करके 29 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 07/2019- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा.का.नि.745(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के साथ पठित आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 (झ) के अनुसार एल्कॉहलिक लिकर लाइसेंस प्रदान किए जाने को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा.का.नि.748(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद की 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार

आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार भेषजिक क्षेत्र से संबंधित आरएण्डडी सेवाओं के प्रदाय के स्थान को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 815/17/19]

(13) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3071(अ) जो 26 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्ररूप जीएसटीआर - 9, जीएसटीआर - 9क और जीएसटीआर - 9ग में वार्षिक विवरणी/समाधान विवरण दाखिल करने के लिए देय तारीख को 30 नवम्बर, 2019 तक बढ़ाकर वार्षिक विवरणियों को दाखिल करने के बारे में कठिनाइयों को हटाना है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 816/17/19]

<u>14.03 hrs</u>

(*At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shri Hasnain Masoodi, Adv. A.M. Ariff and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

…(*Interruptions*)

14.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY

295th and 296th Reports